

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 12 सितंबर, 2011

क्रमांक एफ 5-1/2011/बयालीस(1) राज्य शासन एतद्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना Sub-Mission on Polytechnics under Co-ordinated Action for Skill Development के अंतर्गत जतारा, पवई, सेंधवा, नसरुल्लागंज, इटारसी, राजगढ़ एवं सिरोंज में पोलिटेकनिक महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। प्रत्येक पोलिटेकनिक महाविद्यालय के लिए सलगन परिशिष्ट-एक अनुसार कुल 92 पद सृजित किए जाएं एवं प्रथम वर्ष में शैक्षणिक स्टाफ के 20, (ब) तकनीकी सहायक स्टाफ के 15 (स) कार्यालयीन स्टाफ के 06 एवं (द) चतुर्थ श्रेणी के 06 पदों को मिलाकर कुल 47 पद प्रति संस्था निर्मित करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि प्रथम वर्ष में स्वीकृत पदों के एक तिहाई पद ही भरे जावें।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक सीआर 715/चार-ब-3/2011, दिनांक 03.09.2011 द्वारा दी गई सहमति पर आधारित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(संजय सिंह)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 12 सितंबर, 2011

पृष्ठां. क्र. एफ 5-1/202011/बयालीस(1)

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 2. सचिव (समन्वय) को मंत्रि परिषद् आदेश आईटम क्रमांक-24 दिनांक 06 सितंबर, 2011 के पालन में सूचनार्थ।
 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
 4. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
 5. डॉ. ए.के. नासा, सहायक शिक्षा सलाहकार (टी), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 429, सी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली
 6. प्राचार्य शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय जतारा, जिला टीकमगढ़, पवई, जिला पन्ना, सेंधवा, जिला बड़वानी, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर, इटारसी, जिला होशंगाबाद, राजगढ़, जिला मुख्यालय एवं सिरोंज जिला विदिशा।
 7. जिला कोषालय अधिकारी टीकमगढ़, पन्ना, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद एवं विदिशा, मध्यप्रदेश।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शमीम उद्दीन)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग